बनाम

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.4.18	पत्रावली पेश हुई अपीलान्ट मंगलाराम स्वयं उपस्थित एवं अधिवक्ता अपीलान्ट उप. रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 8 में से मुख्यतारआम भूडाराम, कमल किशोर पुत्रान मांगू उप. एवं सोहनलाल पु. मंगलाराम उपस्थित आया। उपस्थितान अधिवक्तागण ने राष्ट्रीय लोक अदालत के सदर्भ में राजस्व मण्डल राज. अजमेर में प्रस्तुत राजीनामा 14.11.17 के अनुसार मण्डल के निगरानी / LR / 4915 / 2012 जयपुर मंगलाराम बनाम भूडाराम निर्णय दि. 9.1.18 के तहत प्राप्त निर्देश कि "राजीनामे की विधिक परिप्रेक्ष्य में जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे" के तहत प्रकरण एवं प्रस्तुत राजीनामा का विधिक प्रावधानों के तहत परीक्षण किया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार स्पष्ट होता है कि वाके ग्राम राजपुरा के नो.नं. 47 द्वारा 26.3.76 द्वारा मृतक नाथू पु. ईसरा की विरासत का ग्राम पंचायत सुरमलिकपुरा द्वारा भूडाराम - कमल किशोर पुत्रान मांगू हि. 2/3 शोभाराम पु. मंगलाराम हि. 1/3 कौम जाट के नाम निर्मित किया गया मृतक नाथू पु. ईसरा कौम जाट लाऔलाद फौत होना स्पष्ट है लिहाजा मृतक नाथू पु. ईसरा के उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची वर्ग एक में वर्णित कोई उत्तराधिकारी नहीं होना पाया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची वर्ग दो के तहत मृतक ~~ईस~~ नाथू पु. ईसरा जाट के भाई - ~~[illegible]~~ यथा मांगू एवं मंगला पुत्रान ईसरा आते है चूंकि मांगू पु. ईसरा जाट फौत हो चुका है जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 8 है तथा मंगला पु. ईसरा स्वयं अपीलान्ट मौजूद है अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 1 लगा. 14 के मध्य मय मुख्यतारआम राजस्व मण्डल में निगरानी सं. 4915/2012 में प्रथम पक्ष रेस्पोडेन्ट सं 1 लगा. 8 एवं द्वितीय पक्ष अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 9 लगा. 14	नि. मंगलाराम [signature] [signature] 24/5/18 भूडाराम कमलकिशोर सोहनलाल [signature] 22/5/18

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		द्वारा राजीनामे के बिन्दु सं. 2 में वर्णित तथ्य कि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का अपीलीय निर्णय दि. 3.2.11 बहाल रखा जाता है तो सभी पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं होकर सहमत होकर रजामन्द है। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसूची वर्ग प्रथम के तहत प्रस्तुत राजीनामा विधि की मंशा के अनुरूप पाया जाता है लिहाजा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दि. 9.1.18 के अनुसरण में वाके ग्राम रामपुरा के नामान्तरकरण सं. 47 दि. 26.3.76 निरस्त किया जाकर इस न्यायालय के अपीलीय निर्णय दि. 3.2.11 एवं पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर मृतक नाथू पुत्र ईसरा के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची 2 वर्ग के जायज वारिसान यथा मंगलाराम S/o ईसरा कौम जाट के हक में ½ हिस्सा का एवं रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 लगा. 8 यथा भूदाराम, कमलकिशोर, चिमनलाल, उदाराम पुत्रान मांगू, रुक्मा देवी - मां चांदीदेवी, गुलाबदेवी, नारायणी देवी पुत्रियां मांगू बहिस्सा बराबर कौम जाट के हक में ½ हिस्सा का नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की कार्यवाही की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णयानुसार पालना हेतु निर्णय की प्रति सहित तहरीर तहसीलदार फुलेरा को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
		24/1/18
		उप खण्ड अधिकारी सांभर लेक

Scanned by CamScanner